दिनांक 24.09.2021
प्रेस विज्ञप्ति 24/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद आजमगढ़/थाना देवगॉव

- **पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 07 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 80 लाख रूपये कीमत की लूटी गयी 06 Digi ट्रैकिंग मशीन**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **08 हजार रूपये नगद, 08 मोबाइल फोन**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 05 खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि बरामद**

दिनांक 23.09.2021 को थाना देवगॉव व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गोगही पुलिया के पास चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में कार सवार 05 अभियुक्तों 1–पन्नालाल 2–हरेन्द्र 3–राहुल 4–अनुराग 5–मो0राजू उर्फ नुसरत को गिरफ्तार किया गया तथा कार के पीछे मोटर साइकिल से आ रहे 02 बदमाश मौके से फरार हो गये। इसी क्रम में सूचना के आधार पर मेहनाजपुर गायत्री मोड़ से पहले मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित 02 अभियुक्त 6–प्रदीप 7–राहुल कुमार घायल हो गये, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 80 लाख रूपये कीमत की लूटी गयी 06 Digi ट्रैकिंग मशीन, 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 05 खोखा कारतूस, चोरी की 01 मोटर साइकिल, घटना में प्रयुक्त 01 कार, 08 हजार रूपये नगद, 08 मोबाइल फोन आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त प्रदीप व अभियुक्त राहुल कुमार थाना देवगॉव पर पंजीकृत मु0अ0सं0–175/2021 धारा 392/323/506 भादवि में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना देवगॉव पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–पन्नालाल निवासी कबीरपुर, चक सुल्तान थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर।

2–हरेन्द्र निवासी पचारा थाना करण्डर जनपद गाजीपुर।

3–राहुल निवासी सकरा हुसैनपुर थाना कोतवाली गाजीपुर जनपद गाजीपुर।

4–अनुराग निवासी प्रताप बिहार कालोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बुलन्दशहर।

5–मो0 राजू उर्फ नसरत निवासी सलेमपुर थाना बरौली बेगूसराय, बिहार, हालपता–सेक्टर–8 बॉसबल्ली मार्केट थाना सेक्टर–20 गौतमबुद्धनगर।

6–प्रदीप निवासी महरताला थाना मैलानी जनपद लखीमपुर खीरी।

7–राहुल कुमार निवासी सिद्धनपुर थाना मैलानी जनपद लखीमपुर खीरी।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 80 लाख रूपये कीमत की लूटी गयी 06 Digi ट्रैकिंग मशीन।

2–03 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 05 खोखा कारतूस।

3– चोरी की 01 मोटर साइकिल।

4– घटना में प्रयुक्त 01 कार।

5– 08 हजार रूपये नगद।

6– 08 मोबाइल फोन आदि।

जनपद मऊ/थाना मधुबन

- **पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 23.09.2021 को थाना मधुबन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कुण्डा शरीफपुर गेट के पास चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–लक्ष्मीचन्द्र उर्फ लकी 2–गुलशन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो थाना मधुबन पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मधुबन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–लक्ष्मीचन्द्र निवासी चकहैबतुल्लाह थाना मधुबन जनपद मऊ।

2–गुलशन निवासी चकहैबतुल्लाह थाना मधुबन जनपद मऊ।

बरामदगी

1–02 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल।

जनपद रामपुर/थाना मिलक खानम

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 04 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 23.09.2021 की रात्रि थाना मिलक खानम पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम वमना से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रिफाकत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 04 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद रामपुर, सम्भल, मुरादाबाद के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, एन0एस0ए0 के 13 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना मिलक खानम पर पंजीकृत मु0अ0सं0—89/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मिलक खानम पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रिफाकत निवासी मोहम्मदगंज थाना बनियाठेर जनपद सम्भल।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 12 बोर, 04 जीवित कारतूस।

जनपद प्रतापगढ़/थाना आसपुर देवसरा

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 24.09.2021 को थाना आसपुर देवसरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम इब्राहिमपुर पुलिया के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त कन्हैयालाल को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना आसपुर देवसरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0—138/2021 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना आसपुर देवसरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कन्हैयालाल निवासी बांगरकलां थाना करौंदीकलां जनपद सुल्तानपुर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस।

जनपद बस्ती/थाना छावनी

- **15—15 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 24.09.2021 को थाना छावनी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना छावनी क्षेत्र से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1—सोनी उर्फ सिकन्दर 2—रामचरन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं। गिरफ्तार अभियुक्त सोनी उर्फ सिकन्दर के विरूद्ध जनपद बस्ती, अयोध्या के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, सी0एस0 एक्ट आदि के 06 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना छावनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0—163/2021 धारा /411 भादवि में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15—15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना छावनी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सोनी उर्फ सिकन्दर निवासी बैसिंह थाना पूराकलन्दर जनपद अयोध्या।

2—रामचरन निवासी दर्जी की बगिया थाना महराजगंज जनपद अयोध्या।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद इटावा/थाना चकरनगर

- **15 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध पिस्टल, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 24.09.2021 को थाना चकरनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर निर्माणाधीन फायर स्टेशन के सामने नगला चोप तिराहे से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुधीर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध गुजरात, मध्य प्रदेश प्रान्त व जनपद इटावा के विभिन्न थानों पर हत्या, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, आबकारी एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत हैं।गिरफ्तार अभियुक्त जनपद ग्वालियर, म0प्र0 से वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना चकरनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुधीर निवासी बिडौरी थाना बिठौली जनपद इटावा।

बरामदगी

1–अवैध पिस्टल, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

जनपद मेरठ/थाना सरधना

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट/चोरी का 02 महिन्द्रा ट्रैक्टर**
- **घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद**

दिनांक 23.09.2021 को थाना सरधना व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कब्रिस्तान भैसा रोड कस्बा व थाना मवाना से 04 अभियुक्तों 1–मुकर्रम 2–जावेद 3–रोहतास 4–टोनी को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे/निशादेही से लूट/चोरी के 02 महिन्द्रा ट्रैक्टर व घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 13.09.2021 को थाना सरधना क्षेत्र से अज्ञात अभियुक्तों द्वारा ट्रैक्टर लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सरधना पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना सरधना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मुकर्रम निवासी मोहल्ला मुन्नालाल भैसारोड कस्बा व थाना मवाना जनपद मेरठ।

2–जावेद निवासी मोहल्ला मुन्नालाल भैसारोड कस्बा व थाना मवाना जनपद मेरठ।

3–रोहतास निवासी ग्राम घटायन उत्तरी थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर।

4–टोनी निवासी जहॉगीर पुरी दिल्ली वेस्ट।

बरामदगी

1–लूट/चोरी के 02 महिन्द्रा ट्रैक्टर।

2– घटना में प्रयुक्त 01 कार।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना विभूतिखण्ड

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 03 लाख 38 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनांक 24.09.2021 को थाना विभूतिखण्ड पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना विभूतिखण्ड क्षेत्र से अभियुक्त जोखू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 03 लाख 38 हजार रूपये बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 23.9.2021 को थाना विभूतिखण्ड क्षेत्र से कैश वैन से रूपये चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना विभूतिखण्ड पर मु0अ0सं0 504/2021 धारा 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर चोरी गये रूपये की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे, गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना विभूतिखण्ड पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जोखू निवासी कन्तापुरवा थाना रेउसा जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1–चोरी की 03 लाख 38 हजार रूपये।

जनपद कुशीनगर/थाना कसया

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 02 लाख 40 हजार रूपये नगद**
- **सोने की चैन बरामद**

दिनांक 23.09.2021 को थाना कसया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हाईवे अण्डर पास ओबर ब्रिज पेट्रोल पम्प देवरिया रोड कसया के पास से 03 अभियुक्तों 1–राहुल 2–अखिलेश को गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशादेही पर अभियुक्त 3–सनी देओल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार

अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 02 लाख 40 हजार रूपये नगद व सोने की 01 चैन बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त राहुल व अखिलेश शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसके द्वारा जनपद कुशीनगर, गोरखुपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी कई घटनाए कारित की गयी थी। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया व सोने की चैन उक्त चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कसया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राहुल निवासी छोटकी सपरी थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया।

2–अखिलेश निवासी मोहल्ला कलेक्ट्री थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।

3–सनीदेओल निवासी गायत्रीनगर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।

बरामदगी

1–चोरी की 02 लाख 40 हजार रूपये नगद।

2– सोने की 01 चैन।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना कटरा

- **02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ रूपये (अर्न्तराष्ट्रीय कीमत) की 250 ग्राम अवैध स्मैक**
- **02 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 23/24.09.2021 को थाना कटरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भमौरी मोड़ से 02 मादक पदार्थ तस्करों 1–प्रदीप 2–शिवम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 01 करोड़ रूपये (अर्न्तराष्ट्रीय कीमत) की 250

ग्राम अवैध स्मैक, 02 मोबाइल फोन, 02 नकली नोट(एक 500 का एक 200 का), 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना कटरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—प्रदीप निवासी ग्राम वोन्डा थाना बहेडी जनपद बरेली।

2— शिवम निवासी निथाना बहेडी, जनपद बरेली।

बरामदगी

1—लगभग 01 करोड़ रूपये (अर्न्तराष्ट्रीय कीमत) की 250 ग्राम अवैध स्मैक।

2—02 मोबाइल फोन।

3— 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद खीरी/थाना भीरा

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **निर्मित/अर्द्धनिर्मित 05 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **04 जीवित/खोखा कारतूस**
- **शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 24.09.2021 को थाना भीरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दरियाबाद राघनपुरवा लिंक रोड पुल के पास गन्ने के खेत से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों 1—हरिश्चन्द्र 2—प्रमोद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से निर्मित/अर्द्धनिर्मित 05 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 04 जीवित/खोखा कारतूस, शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना भीरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—हरिश्चन्द्र निवासी राघनपुरवा थाना भीरा जनपद खीरी ।

2—प्रमोद निवासी रायपुर बुर्जुग थाना नीमगॉव जनपद खीरी।

बरामदगी

1—निर्मित/अर्द्धनिर्मित 05 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2— 04 जीवित/खोखा कारतूस।

3— शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

➢ **जनपद सीतापुर/थाना हरगांव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोट संख्याः 04 जनपद सीतापुर द्वारा थाना हरगांव पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 304 भादवि व 25 (1—बी) आर्म्स एक्ट में अभियक्त 1—इन्द्रपाल को 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

एसटीएफः जनपद अलीगढ के थाना क्षेत्र देहली गेट एवं बन्नादेवी मे अवैध रुप से मिश्रण कर खाद्य तेल तैयार कर विभिन्न कम्पनियों के फर्जी मुद्रित सील/मार्का लगाकर बेचने वाले गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार, 03 ट्रेडर्स के विरुद्ध कार्यावाही की गयी।

दिनांक 23—09—2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को जिला अलीगढ़ अंतर्गत थाना देहली गेट एवम बन्नादेवी क्षेत्र मे अवैध रुप से विभिन्न खाद्य तेल मे मिश्रिण कर तैयार करने व फर्जी मुद्रित सील/मार्का लगाकर विक्रय करने वाले करने व उक्त गिरोह के एक सदस्य गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1— योगेष कुमार गुप्ता पुत्र जगमोहन गुप्ता निवासी 08/23 गुडिया बॉग मोरनी वाली पेंच देहली गेट अलीगढ़।

बरामदगीः

1— 244 अदद कनस्तर/टीन विभिन्न खाद्य तेल फॉरच्यून कम्पनियो के।

2— 1340 अदद ढक्कन विभिन्न खाद्य तेल फॉरच्यून कम्पनियो के।

3— 480 अदद स्टीकर विभिन्न खाद्य तेल फोरच्यून कम्पनियो के।

3— 01 अदद स्टापिंग मषीन ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक गुड़िया बाग मोरनी वाली पेंच देहली गेट थाना देहली गेट जनपद अलीगढ़ दिनांकः 23—09—2021, समय 18:45 बजे।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को विगत समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलो में मिलावटी खाद्य तेल मे पॉम ऑयल मिश्रिण कर तैयार करने व फर्जी मुद्रित सील/मार्का लगाकर विक्रय करने वाले गिरोह के सक्रिय होकर अवैध कारोबार करने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी, इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, आगरा के पर्यवेक्षण में एसटीएफ फील्ड इकाई, आगरा द्वारा फॉरच्यून रिफाइन्ड ऑयल कम्पनी के प्रतिनिधि की लिखित सूचना व अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि जिला अलीगढ़ मे अवैध रुप से विभिन्न खाद्य तेल मे मिश्रिण कर तैयार करने व फर्जी मुद्रित सील/मार्का लगाकर विक्रय करने वाले गिरोह सक्रिय हैं। उक्त सूचना को विकसित करते हुए निरीक्षक यतीन्द्र शर्मा के नेतृत्व में उ0नि0 प्रमोद कुमार उ0नि0 अमित गोस्वामी मु0आ0प्रो0 कमा0 लाल सिंह मु0आ0 दिनेष कुमार आ0 दिनेष कुमार आ0 प्रदीप कुमार आ0 कमा0 चन्द्र पाल एस0टी0एफ0 आगरा की एक टीम गठित कर स्थानीय पुलिस को साथ लेकर बताये सम्भावित स्थान जिला अलीगढ मे पहुँचे। मौके पर जिला खाद्य एवं औषधि की टीम व फॉरच्यून रिफाइन्ड ऑयल कम्पनी के प्रतिनिधि सदस्यों सहित स्थान गुडिया बाग मोरनी वाली पेंच थाना क्षेत्र देहली गेट से उक्त गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर उसकी निषादेही पर थाना

बन्नादेवी व थाना देहली गेट क्षेत्र से फॉरच्यून कम्पनियो की मिलावटी तेल व पैकिंग की उपरोक्त सामग्री बरामदगी की गयी जिसे सील किया गया।

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि हम लोग नेपाल से व उ0प्र0 के विभिन्न दलालो द्वारा पॉम ऑयल व सोयावीन के तेल को मिश्रित कर नकली ब्राण्ड को असली मे लगाकर व स्टाम्प/सील कर विभिन्न स्थानो पर भारी मुनाफा लेकर विक्रय करते है, हमे यह पाम आयल 20 से 40 रू0 प्रतिलीटर के भाव से मिलता है, जिसमें रू0 150 प्रति लीटर के हिसाब से मुनाफा लेकर बेचते थे, ज्यादातर फुटकर व ग्रामीण दुकानदार इसे खरीदते है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त विरुद्ध थाना देहली गेट पर मु0अ0सं0 630/21 धारा 51/63/65 कॉपीराइट अधि0 1957 व धारा 103/104 ट्रेडमार्क अधि0 1999 धारा 26 खाद्य एवम सुरक्षा मानक अधि0 2006 धारा 420/467/468/471 भादवि तथा व क्रयकर्ता ट्रेडर्स के विरुद्ध थाना बन्नादेवी मु0अ0सं0 572/21 धारा 51/63/65 कॉपीराइट अधि0 1957 व धारा 103/104 ट्रेडमार्क अधि0 1999 धारा 26 खाद्य एवं सुरक्षा मानक अधि0 2006 का अभियोग पंजीकृत करया गया है, अग्रेतर कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

———